[2019] 2 एस. सी. आर. 887

आसिफ खान

वी.

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

(आपराधिक अपील सं। 286-288 2019 का)

05 मार्च, 2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एस. 302 एस के साथ पढ़ें। 34 – हत्या-सामान्य इरादा

-

पक्षों के बीच बहस हुई जिसके बाद आरोपी नंबर 1 और 2 वापस आ गए और 10 मिनट बाद घातक हथियारों के साथ लौट आए। 15. 5 सेंटीमीटर के ब्लेड के साथ चाकू, जिससे पीड़ित को चाकू मारा गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई-आरोपी नं। 2 - अपीलार्थी ने पीड़ित की गर्दन पकड़ ली और आरोपी संख्या 1 ने पीड़ित को चाकू मार दिया-निचली अदालत ने आरोपी संख्या 1 को दोषी ठहराया। 1 और 2 दंडनीय अपराधों के लिए यू/एस। 304 भाग II आर. डब्ल्यू. एस. 34 और अन्य को बरी कर दिया गया-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने आरोपी नं. 1 और 2 यू/एस। 302 आरडब्ल्यू एस। 34 - एस. एल. पी. अभियुक्त नं. मैंने खारिज कर दिया-अभियुक्त नं. 2 - आयोजित किया गयाः अभियुक्त का सामान्य इरादा सं। 1 और 2 अभियोजन पक्ष की कहानी में सामने आई परिस्थितियों और घटनाओं से पूरी तरह से स्थापित है, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है-यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई नहीं था

अभियुक्त संख्या के बीच मन की बैठक। 1 और 2, जब वे हथियार लेकर लौटे और पीड़ित को चाकू मार दिया-घटना का तरीका भी

यह इंगित करता है कि दोनों का इरादा समान था, इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने आरोपी नं. 2 यू/एस। 302/34 .

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 उच्च न्यायालय ने देखा कि अभियुक्त Nos.1

और 2 पहली घटना के बाद एक मोटरसाइकिल पर वापस चला गया और 10 मिनट के बाद घातक हथियार, यानी चाकू के साथ आया, जिसका ब्लेड 15.5 सेमी था। के इरादे के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है आरोपी, जिसने मृतक की गर्दन पकड़ रखी थी और आरोपी नंबर 1 ने चाकू मार दिया। पी. डब्ल्यू. 5, डॉक्टर, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, साबित हुआ

उनके साक्ष्य में कि चोट सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। अपीलार्थी का यह निवेदन कि चोट महत्वपूर्ण नहीं थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय का निर्णय नं. 1 यू/एस। 302 पहले से ही

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त नं. की ओर से एसएलपी को खारिज करके बरकरार रखा गया। 1. इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त यू/एस के तहत दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी थे। 302 . [पैरा 13,14] [894-एफ-जी; 895-डी]

1.2 अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के लिए धारा 34 के तहत कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि मृतक की किसी पूर्व नियोजित हत्या का कोई सबूत नहीं है; और प्रथम सूचना रिपोर्ट में, यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी ने मृतक का हाथ पकड़ा था और अदालत के समक्ष साक्ष्य में, यह उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन पकड़ी थी। अदालत में पेश हुए तीनों चश्मदीद गवाहों, पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू4 ने कहा है कि अपीलार्थी ने पीड़ित की गर्दन पकड़ ली और आरोपी नंबर 1 ने उस पर चाकू से हमला किया। [पैरा 18] [898-ए-सी]

में घटित परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा स्थापित अभियोजन की कहानी, पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा विधिवत पुष्टि की गई। इसके बाद

आरोपी नंबर 1 और मुखबिर के बीच झगड़ा हुआ।

स्पष्ट रूप से स्थापित और यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी Nos.1 और 2 के बीच मन की कोई बैठक नहीं हुई थी, जब वे हथियार के साथ लौटे और मृतक को चाकू मार दिया। अभियुक्त संख्या 2 ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की गर्दन पर जब आरोपी नंबर 1 ने चाकू से वार किया। घटना के तरीके से यह भी संकेत मिलता है कि दोनों का इरादा समान था, इसलिए उच्च न्यायालय ने धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत आरोपी संख्या 2 को दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की। [पैरा 28] [903-एफ-एच; 904-ए, बी]

कुलवंत राय बनाम। पंजाब राज्य (1981) 4 एस. सी. सी. 245; रमेश विट्ठलराव ठाकरे और एक अन्य बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2009) 17 एस. सी. सी. 438; सुरैन सिंह बनाम राज्य

पंजाब (2017) 5 एस. सी. सी. 796-विशिष्ट।

आसिफ खान बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

महबूब शाह बनाम सम्राट ए. आई. आर 1945 पी. सी. 118;

पांडुरंग और अन्य बनाम। हैदराबाद राज्य ए. आई. आर 1955

पंजाब राज्य ए. आई. आर 1963 एस. सी. 174: [1962] पूरक। एससीआर 848 ; नरिंदर सिंह और एक अन्य वी। पंजाब राज्य

(2000) 4 एससीसी 603: [2000] 2 एससीआर 1022; राजू

पांडुरंग महाले बनाम। महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य

(2004) 4 एससीसी 371: [2004] 2 एससीआर 287; मुरारी ठाकुर और एक अन्य वी। बिहार राज्य (2009) 16 एससीसी 256:

[2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 988-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

प्रतिष्ठित।

(1981) 4 एससीसी 245

पैरा 15

(2009) 17 एस. सी. सी. 438

प्रतिष्ठित।

पैरा 16

(2017) 5 एस. सी. सी. 796

प्रतिष्ठित।

पैरा 17

संदर्भित किया गया।

पैरा 21

एयर 1945 पीसी 118

[1955] एससीआर 1083

पैरा 22

संदर्भित किया गया।

[1962] पूरक। एससीआर 848

संदर्भित किया गया।

पैरा 3

[2000] 2 एससीआर 1022

पैरा 24

संदर्भित किया गया।

[2004] 2 एससीआर 287

संदर्भित किया गया।

पैरा 27

[2006] 10 पूरक। एससीआर 988

पैरा 27

संदर्भित किया गया।

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः क्रिमिनल एपी

नं. 286-288 2019 से।

उच्च न्यायालय के 05.05.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 की आपराधिक अपील I 225,2012 की 241 और 2012 की 461 में बॉम्बे, औरंगाबाद पीठ में न्यायिक कार्य।

अनुराग किशोर, अभिषेक चौधरी, आदर्श उपाधा

हर्षवर्धन झा, गर्वेश काबरा, एस. पी. विष्णु प्रसाद, अधिवक्ता अपीलार्थी।

निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अनूप कांड

मोहम्मद. परवेज डबास, उज़्मी जमील हुसैन, शकील अहमद एस. दानीश अहमद सैयद, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. ये अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज करने वाले दिनांक 05.05.2014 के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य की आपराधिक अपीलों को अनुमति देना।

2. 21.10.2010 पर सुबह लगभग 8 बजे अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, शिकायतकर्ता बाजार पति चौक पर खड़ा था और उसका भाई सरदारखा कुछ दूरी पर खड़ा था। उस समय, यह आरोप लगाया गया था कि सभी आरोपी वहाँ आए और शिकायतकर्ता से कहा कि लोड शेडिंग के कारण उन्हें एक दिन के लिए आम कुएं से पानी लेने की अनुमति दी जाए। शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर दिया और पूछा

और तुरंत वापस आ गया। आरोपी नंबर 1 ने सरदारखा को पानी लेने से रोकने की चुनौती दी। सरदारखा ने उसे समझाने की कोशिश की। आरोपी नंबर 1 ने सरदारखा की दाहिनी पसली पर चाकू से हमला किया और पकड़े गए आरोपी नंबर 2 ने सरदारखा की गर्दन पकड़ ली। अभियुक्त सं। 3 और 4, यानी जब्बारखा और अंसारखा ने शिकायतकर्ता को घूंसा मारा। इसके तुरंत बाद इन घटनाओं में, सरदारखा को जीप और शिकायतकर्ता द्वारा घाट अस्पताल, औरंगाबाद ले जाया गया और अन्य लोग दूसरी जीप में उनके पीछे चले गए। उन्हें सुबह करीब 10 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

3. एफ. आई. आर. में नामित सभी अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302,323,504 और 506 के तहत उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपित

22.10.2010 पर गिरफ्तार किए गए। आई. डी. 1 पर, अभियुक्त संख्या 1 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बयान का ज्ञापन दिया और इसके परिणामस्वरूप उक्त ज्ञापन हथियार बरामद किया गया। जाँच पूरी होने के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया था

उपरोक्त खंड।

4. सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुकदमे में, शिकायतकर्ता पीडब्लू1 कालेखान ने अभियोजन पक्ष का मामला साबित किया, अन्य चश्मदीद गवाह-पीडब्लू2 सलीमखा अब्बास्खा पठान और पीडब्लू4, अजीजखा सरदारखा ने भी साबित किया

अभियोजन पक्ष की कहानी, पीडब्लू 5, डॉ. नवीन कुमार वर्मा ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को साबित किया और पीडब्लू 6 और पीडब्लू 7 पंच गवाह थे।

आसिफ खान बनाम थे। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

अन्य औपचारिक गवाह, जिन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही दी। प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका पर चर्चा करने के बाद, निचली अदालत ने अपने दिनांक 29.02.2012 के फैसले को पैराग्राफ में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचाया। नं. 39:

अभियोजन पक्ष के मामले में, उन्होंने अपराध करने का सामान्य इरादा साझा किया। यदि अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य इस संबंध में पी. डब्ल्यू. 1,2 और 4, जो चश्मदीद गवाह हैं, ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी नंबर 2 पकड़ा गया है।

और 4 उपस्थित थे और उन्होंने शिकायतकर्ता पर मुट्ठी और वार से हमला किया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी Nos.3 और 4 ने आरोपी संख्या को उकसाया। 1 और 2 हमला करने के लिए। वहाँ कोई नहीं है अभियुक्त नंबर 1 और 4 के समान इरादे को साझा करने में किसी भी पूर्व संगीत कार्यक्रम या मन की बैठक का सबूत। 1 और 2. धारा की सहायता से अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले

34 भारतीय दंड संहिता के अनुसार, यह साबित करना होगा कि

अपराध करने के लिए पूर्व-व्यवस्थित योजना।

5. निचली अदालत ने माना कि आरोपी की संलिप्तता संख्या। 1 और 2, यानी, आरोपी नसीबखा और आसिफ खान स्थापित हो जाते हैं। ट्रायल कोर्ट,

6. निचली अदालत के दिनांक 29.02.2012 के फैसले के खिलाफ, आरोपी, शिकायतकर्ता और राज्य ने अपील दायर की। अभियुक्तों ने नाराजगी जताई थी धारा 304 भाग 2 के तहत उनकी दोषसिद्धि, शिकायतकर्ता और राज्य धारा 302 के तहत अभियुक्तों को बरी करने से व्यथित थे।

धारा 34. उच्च न्यायालय अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के बाद अनुच्छेद No.23 और 30 में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचाः

" 23. अभियोजन पक्ष के मामले के विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण के बाद, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त नहीं। 2 आसिफखा ने मृतक सरदारखा की गर्दन पकड़ ली और उसके बाद नं.

1 नसीबखा ने 2 एस. सी. आर. (2019) बनाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृतक सरदारखा पर चाकू से जानलेवा हमला। इसलिए आरोपी नं. 1 नसीबखा और अभियुक्त नं। 2 आसिफखा को मृतक सरदारखा की हत्या का दोषी ठहराया गया है।

30. यह सच है कि वे पहले मुखबिर से एक और दिन के लिए पानी की मांग कर रहे थे, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था, जिससे वह क्रोधित हो गया।

उन्होंने गाली-गलौज की और पीडब्लू 1 कालेखा के साथ झगड़ा किया, जिसमें मृतक ने हस्तक्षेप किया। एक और दिन के लिए पानी देने से इनकार करने की परिणति पीडब्लू 1 कालेखा को गाली देने में हुई

और यहां तक कि उसके साथ झगड़ा भी, सबसे स्वाभाविक हो सकता है, हालांकि, मृतक के हस्तक्षेप पर इसे शांत कर दिया गया था। इतना ही नहीं,

अभियोजन पक्ष के सुसंगत साक्ष्य से पता चलता है कि उसके बाद दोनों ने न. 1 नसीबखा और अभियुक्त नं। 2 आसिफखा वहाँ से चले गए।

मोटर चक्र पर।

वे दस मिनट बाद मौके पर पहुंचे। यह अवधि पहली घटना के संबंध में उन्हें शांत करने के लिए पर्याप्त थी, हालांकि, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से पता चलता है कि दस मिनट के बाद, वे न केवल मौके पर लौट आए, बल्कि वे अपने साथ घातक चाकू लेकर लौट आए। अभियुक्त सं. की ओर से यह कार्य। 1 और 2 स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि पूर्व-चिंतन के साथ वे मौके पर लौट आए। वे एक विशिष्ट इरादे के साथ मौके पर लौट आए। इसके अलावा, सबूतों से यह स्पष्ट है कि मौके पर पहुंचने पर उन्होंने तुरंत मृतक सरदारखा को पकड़ लिया और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा उन्हें दी गई भूमिका के अनुसार चाकू से वार किया। यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि दोनों अभियुक्तों की संख्या। 1 और 2 के खिलाफ नर्सिंग दुर्भावना थी

मृतक, क्योंकि पहली बार में यह मृतक था जिसने पीडब्लू 1 कालेखा को उनके साथ झगड़े से बचाया था।

7. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस तर्क को मंजूरी नहीं दी कि आरोपी का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। उच्च न्यायालय ने राज्य और शिकायतकर्ता की अपीलों को स्वीकार कर लिया और आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। अभियुक्तों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया गया। अभियुक्त सं. का बरी होना। 3 और 4 की पुष्टि हुई। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ये अपीलें दायर की गई हैं।

8. इस न्यायालय ने आई. डी. 1 पर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की और विशेष अनुमति याचिका याचिकाकर्ता संख्या 1 यानी नसीबखान को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के रूप में विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया गया था नंबर 2, यानी आसिफ खान चिंतित हैं। इस प्रकार, इन अपीलों पर केवल आसिफ खान की ओर से विचार किया जाता है।

आसिफ खान बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

यह दोनों पक्षों के बीच अचानक लड़ाई के कारण हुआ और आरोपी की ओर से मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। वह प्रस्तुत करता है कि दोषसिद्धि केवल धारा 304 भाग 2 के तहत दर्ज की जा सकती थी जैसा कि निचली अदालत द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी के संबंध में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में, हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने मृतक का हाथ पकड़ा है, लेकिन साक्ष्य में, यह कहा जाना चाहिए कि अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन पकड़ी थी। अपीलार्थी के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी के लिए धारा 34 के तहत कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि मृतक की किसी पूर्व नियोजित हत्या का कोई सबूत नहीं है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील ने रखा है कुलवंत राय बनाम पंजाब राज्य, (1981) 4 एस. सी. सी. 245; रमेश विट्ठलराव ठाकरे और अन्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता।

महाराष्ट्र राज्य (2009) 17 एस. सी. सी. 438 और सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2017) 5 एस. सी. सी. 796। 10. राज्य के विद्वान वकील ने अपीलार्थी के वकील के प्रस्तुत करने का खंडन करते हुए तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सही तरीके से दोषी ठहराया है

धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत अपीलार्थी पहली घटना के बाद, जब पक्षों के बीच बहस हुई, तो आरोपी Nos.1 और 2 मोटरसाइकिल पर वापस चले गए और 10 मिनट के बाद घातक हथियार, यानी चाकू के साथ लौट आए, जिससे मृतक को चाकू मारा गया था। द.

अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन पकड़ ली और आरोपी नंबर 1 ने मृतक को चाकू मार दिया। अपराध अभियुक्त Nos.1 और 2 द्वारा किया गया था।

सामान्य इरादा, इसलिए उन्हें धारा 302 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान धारा 304 भाग II के तहत दोषसिद्धि का मामला नहीं है, क्योंकि पहली घटना के बाद आरोपी लौट आया और घातक हथियार के साथ वापस आया और मारने के इरादे से मृतक को चाकू मार दिया। सभी चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले को साबित कर दिया है।

11. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

12. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का पहला निवेदन यह है कि, सबसे अच्छा, वर्तमान धारा 304 के तहत दोषसिद्धि का मामला था।

भाग 2 और यह धारा 302 के तहत दोषसिद्धि का मामला नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए सबूतों पर विस्तार से विचार किया है कि क्या वर्तमान मामले में दोषसिद्धि धारा 304 भाग 2 के तहत होनी चाहिए थी जैसा कि निचली अदालत ने अभिनिर्धारित किया था। पैराग्राफ संख्या में उच्च न्यायालय का विचार। 23 और 30 पहले ही निकाले जा चुके हैं [2019] 2 एस. सी. आर.

ऊपर। निचली अदालत के इस अवलोकन के संबंध में कि यह साबित नहीं हुआ है कि आरोपी का मृतक को मारने का इरादा था, उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ Nos.33 और 34 में निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 33. वर्तमान मामले में, विद्वत निचली अदालत ने अपने फैसले के पैराग्राफ 43 में कहा है और एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि आरोपी संख्या की ओर से एक इरादा था। 1 और 2 मृतक को चोट पहुँचाने के लिए, हालांकि, नीचे दी गई विद्वत अदालत एक सांस में तर्क देती है कि, रिकॉर्ड पर सामग्री से, यह प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्त का इरादा मृतक को मारने का था; हालाँकि, अगली सांस में, विद्वत न्यायाधीश ने तर्क दिया कि, अभियुक्त नहीं। 1 चाकू से लैस था, जिसका ब्लेड खुद 15.5 सेमी था। लंबाई में, और इसलिए, अभियुक्त को पता होना चाहिए था कि यदि वह

मृतक को चाकू मारा गया, वह इस तरह से काम कर रहा हो सकता है कि उसने जो चोट पहुंचाई है, उससे मौत होने की संभावना है, और फिर भी नीचे की विद्वत अदालत ने आरोपी संख्या को बरी कर दिया है। 1 और 2 की धारा 307 के तहत

भारतीय दंड संहिता। 34.

हमारे विचार में, नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय की ओर से यह प्रशंसा विकृत है। एक बार इरादा स्थापित हो जाने के बाद, और चिकित्सा साक्ष्य और सरदारखा के मृत शरीर पर पाए गए घाव के अस्तित्व के आलोक में, आरोपी के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 1 और 2 प्रतिबद्ध होने के लिए

भारतीय दंड संहिता की धारा302 के तहत अपराध।

अभियुक्त के लिए विद्वान वकील सं। 1 और 2 ने इसे बहुत मुश्किल पाया और भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के किसी भी अपवाद में अपना मामला नहीं ला सके।

13. उच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि पहली घटना के बाद आरोपी Nos.1 और 2 मोटरसाइकिल पर वापस गए और उनके पीछे आए।

10 घातक हथियार के साथ मिनट, यानी, चाकू, जिसमें एक ब्लेड था

15.5 से. मी. अभियुक्त के इरादे के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है, जिसने मृतक की गर्दन पकड़ रखी थी और अभियुक्त नंबर 1 को चाकू मार दिया था। पीडब्लू5, डॉ. नवीनकुमार वर्मा, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया, ने अपने साक्ष्य में साबित किया कि चोट No.17 सामान्य अवस्था में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चोट, जो दाहिने हाइपोकॉन्ड्रिक क्षेत्र में दाहिने पार्श्व क्षेत्र में हुई थी

महत्वपूर्ण भाग पर नहीं। चोट पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैंः

आसिफ खान बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

" उक्त चोट का उल्लेख पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक्सएच में कॉलम 17 में किया गया है। 56 , डॉ. नवीन कुमार वर्मा (पीडब्लू 5) द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया। कॉलम नं. 20 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक्सएच। 56 , दाहिनी 9वीं पसलियों को निचले किनारे से 0.5 सेंटीमीटर में काटा जाता है। एरिया कट एंड्स शो

घुसपैठ धुंधला।

डॉक्टर ने छुरा घोंपने की चोट के आसपास गहरे लाल रंग के दाहिने किनारे के क्षेत्र में हीमेटोमा का भी उल्लेख किया। 3 x 0.3 x 11 से. मी. का यकृत छुरा घोंपने का घाव। यकृत के दाहिने भाग में, जिसका उल्लेख उन्होंने कॉलम नं. 21 में से

पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

ऑटोप्सी सर्जन डॉ. वर्मा के अनुसार, मौत का कारण

अर्थात्, यकृत में छुरा घोंपने की चोट के कारण आघात और रक्तस्राव। डॉक्टर साहब।

पता चला कि चोट एंटीमॉर्टम थी।

14. अपीलार्थी का यह निवेदन कि चोट महत्वपूर्ण नहीं थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी संख्या 1 को धारा 302 के तहत दोषी ठहराने के फैसले को पहले ही नसीब खान की ओर से विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके बरकरार रखा जा चुका है। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उस दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं पाते हैं जिसके लिए अभियुक्त उत्तरदायी थे।

धारा302 के तहत दोषसिद्धि। कुलवंत राय (ऊपर) में, एक खंजर

एपिगास्ट्रियम क्षेत्र में झटका दिया गया था। इस अदालत ने नोट किया कि कोई विवाद नहीं था, कोई पूर्वधारणा नहीं थी और मामला हिट एंड रन का था। उपरोक्त परिस्थितियों में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह एक ऐसा मामला था, जो अनुच्छेद संख्या 3 में धारा 304 भाग 2 के तहत आता है।

आयोजित किया गयाः

" 3. जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष था तो यह पुरजोर आग्रह किया गया था कि मामले की परिस्थितियों में धारा 300 के पैरा 1 को आकर्षित नहीं किया जाएगा क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी का मृतक की हत्या करने का इरादा था। वास्तव में, यह स्वीकार किया जाता है। अक्सर, एक सुझाव दिया जाता है कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के पैरा 3 द्वारा कवर किया जाएगा जिसमें न केवल आरोपी का उस विशेष चोट को पहुँचाने का इरादा था, बल्कि जो चोट पहुँचाने का इरादा था वह वस्तुनिष्ठ चिकित्सा परीक्षण द्वारा किया गया था जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त पाया गया था। मृत्यु। सवाल यह है कि जिस परिस्थिति में अपराध किया गया था, क्या यह कभी कहा जा सकता है कि आरोपी का इरादा उस चोट को पहुँचाना था जो घातक साबित हुई। दोहराने के लिए, एक झगड़ा था। कोई पूर्वधारणा नहीं थी। यह हिट एंड रन जैसा था। ऐसे मामले में, धारा 300 [2019] 2 एस. सी. आर. का पैरा 3।

आकर्षित नहीं किया जाएगा क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त का इरादा उस विशेष चोट को पहुँचाना था जो अंततः दी गई थी। यहाँ जिन परिस्थितियों पर चर्चा की गई है, उनमें यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने एक ऐसी चोट पहुँचाई जिससे वह जानता था कि उसकी मृत्यु होने की संभावना है और तदनुसार मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत आता है।

15. उपरोक्त मामला स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि वर्तमान एक है

मामला जहाँ अभियुक्त सं। 1 और 2 पहली घटना के बाद, जिसमें मुखबिर और मृतक के साथ बहस हुई थी, मोटरसाइकिल पर वापस लौट आए

और 10 मिनट के बाद हथियार के साथ वापस आया, इसलिए उपरोक्त निर्णय लागू नहीं होता है। अपीलार्थी, अर्थात् रमेश विट्ठलराव ठाकरे (ऊपर) द्वारा भरोसा किए गए मामले पर आते हुए। उपरोक्त मामले में, अभियुक्त की अशोक नामक व्यक्ति के साथ पूर्व शत्रुता थी और वे अशोक को चोट पहुँचाने गए थे। अशोक की बहन रेखा बीच में आ गईं और उन्हें छाती पर एक भी चोट नहीं लगी। उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत आएगा। पैराग्राफ संख्या में। 9 और 11, निम्नलिखित आयोजित किया गया हैः

" 9. इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मृतक को रमेश द्वारा एक भी चोट लगी थी जब रेखा ने अपने भाई अशोक को हमले से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। रमेश का प्राथमिक लक्ष्य अशोक था, जो रेखा के सीने पर चोट लगने से बच गया। रेखा को एकल चोट पहुँचाने के बाद, यह अभियोजन पक्ष का मामला ही है कि रमेश ने रेखा को और न ही अशोक, पीडब्लू 1 को भी कोई अन्य चोट नहीं पहुँचाई।

11. हम, तदनुसार आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए रमेश की दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार करते हैं और इसके बजाय उसे धारा 304 पी. टी. के तहत अपराध के लिए दोषी पाते हैं। II आई. पी. सी. और उसे पाँच साल के कठोर कारावास और रुपये के

जुर्माने की सजा सुनाई। 4000. जुर्माने का भुगतान न करने पर, अपीलार्थी को एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास का सामना करना पड़ेगा। जुर्माना होगा

तीन महीने के भीतर भुगतान किया जाएगा और वसूली पर भुगतान किया जाएगा

मृतक की माँ, पीडब्लू 2, जनाबाई "।

16. उपरोक्त मामला स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि उस मामले में वे अशोक की मृत बहन को चोट पहुँचाने नहीं गए थे, बल्कि वे अशोक को चोट पहुँचाने गए थे और चूंकि उसने अपने भाई को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और उस पर हमला किया गया, इसलिए यह पूर्व नियोजित नहीं था। लेकिन, वर्तमान में आसिफ खान बनाम।

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

मामले के आरोपी नं. 1 और 2 पहली घटना के बाद, मोटरसाइकिल पर वापस आया और 10 मिनट के बाद हथियार के साथ वापस आया, इसलिए उपरोक्त निर्णय लागू नहीं होता है। अपीलार्थी सुरैन सिंह (ऊपर) के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया तीसरा मामला एक ऐसा मामला था जिसमें इस न्यायालय ने धारा 304 भाग II के तहत इस आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दिया कि हमला किया गया था।

पूर्व नियोजित और पूर्व नियोजित नहीं। पैराग्राफ संख्या में। 21 और 23, निम्नलिखित आयोजित किया गया हैः

" 21. तत्काल मामले में, अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि युद्धरत गुटों के बीच कड़वी शत्रुता थी जिससे आरोपी और मृतक संबंधित थे। इन गुटों के बीच आपराधिक मुकदमा चल रहा था। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह भी साबित होता है कि हमला पूर्व नियोजित और पूर्व नियोजित नहीं था। संहिता की धारा 107/151 के तहत कार्यवाही के संबंध में दोनों पक्ष संबंधित समय पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट, फरीदकोट की अदालत में उपस्थित थे। जब अपीलार्थी-अभियुक्त ने विपरीत पक्ष के एक सदस्य की उपस्थिति पर आपत्ति जताई, तो पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मौत हो गई। अपीलार्थी का आचरण-अभियुक्त है कि वह

एक बार अपना कृपाण निकाल लिया और विरोधी पक्ष को मारना शुरू कर दिया, यह साबित करता है कि हमला पूर्व नियोजित नहीं था और यह उस क्षण की उत्तेजना के कारण था और मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था। अचानक लड़ाई का अवसर न केवल अचानक होना चाहिए, बल्कि जिस दल पर हमला किया गया है, वह भी समान स्तर पर होना चाहिए। रक्षा का बिंदु, कम से कम शुरुआत में।

23. इस प्रकार, यदि इरादा और ज्ञान है तो वही धारा 304 भाग I का मामला होगा और यदि यह केवल ज्ञान का मामला है और हत्या और शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा नहीं है तो वह धारा 304 भाग II के तहत आएगा। हमारा विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त का मृतक की मृत्यु का

कारण बनने का कोई इरादा था जब उसने विचाराधीन कार्य किया था। यह घटना गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हुई थी और इसलिए आरोपी धारा 300 का लाभ पाने का हकदार है।

अपवाद 4 आई. पी. सी. "

17. उपरोक्त मामला भी स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य है और वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है।

18. अब, हम अपीलार्थी के दोषसिद्धि पर आते हैं

धारा 34. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निवेदन यह है कि अपीलार्थी के लिए धारा 34 के तहत कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि मृतक की किसी पूर्व नियोजित हत्या का कोई सबूत नहीं है। जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान वकील का निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में, यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी ने मृतक का हाथ पकड़ा था और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में, यह उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन पकड़ी थी। अदालत में पेश हुए तीनों चश्मदीद गवाहों, पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू4 ने कहा है कि आसिफ खान ने सरदारखा की गर्दन पकड़ ली और आरोपी नंबर 1 ने उस पर चाकू से हमला किया। पीडब्लू1 की मुख्य परीक्षा का पैराग्राफ नंबर 4 इस प्रकार हैः

" 4. कुछ देर बाद वे वापस आ गए। उस समय आरोपी नंबर 1 ने मुझसे कहा कि तुम मुझे और पानी कैसे नहीं लेने दोगे, मैं तुमसे मिलूंगा। उस समय आरोपी नंबर 2 आसिफखान की गर्दन पकड़ी गई थी।

सरदारखान और आरोपी नंबर 1 नसीबखान ने उन पर चाकू से हमला किया।

उसके पेट की दाहिनी ओर "।

19. जिरह में, पीडब्लू1 ने फिर कहा कि आरोपी नंबर 2 ने अपने भाई की गर्दन पकड़ ली। पीडब्लू2 और पीडब्लू4 का प्रमाण है

यह भी सुसंगत है कि आसिफ खान ने सरदारखा की गर्दन पकड़ ली और आरोपी नंबर 1 ने सरदारखा की दाहिनी पसली पर चाकू से हमला किया। क्या, वर्तमान मामले के तथ्यों और अभिलेख पर साक्ष्य में, अपीलार्थी को धारा 34 की सहायता से धारा 242 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए।

20. अपराध की तथ्य स्थिति में धारा 34 की प्रयोज्यता के लिए परीक्षण इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट और स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

आई. पी. सी. की धारा 34 निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

34. समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जब सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा एक आपराधिक कार्य किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक

उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था।

21. महबूब शाह बनाम में प्रिवी काउंसिल का निर्णय।

सम्राट, ए. आई. आर. 1945 पी. सी. 118 ने धारा 34 के तहत सामग्री पर विस्तृत रूप से विचार किया है और प्रिवी काउंसिल के उक्त फैसले पर इस न्यायालय द्वारा बार-बार भरोसा किया गया है और उसे मंजूरी दी गई है। प्रिवी काउंसिल में

उपरोक्त मामले में कहा गया है कि धारा 34 के तहत, उस दायित्व का सार एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में पाया जाना चाहिए जो आरोपी को सक्रिय करता है जिससे इस तरह के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कार्य किया जाता है। पैराग्राफ नंबर 13 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

आसिफ खान बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

" 13. 1870 में, "व्यक्ति" शब्द के बाद और "प्रत्येक" शब्द के पहले "सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए" शब्दों को सम्मिलित करके इसमें संशोधन किया गया था, ताकि खंड के उद्देश्य को स्पष्ट किया जा सके। धारा 34 में संयुक्त दायित्व का एक सिद्धांत निर्धारित किया गया है। एक आपराधिक कार्य करना। यह खंड "सभी के समान इरादे" नहीं कहता है और न ही यह "सभी के लिए समान इरादे" कहता है। इस धारा के तहत, उस दायित्व का सार एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में पाया जाना चाहिए जो आरोपी को सक्रिय करता है जिससे इस तरह के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए एक आपराधिक कार्य किया जाता है। धारा 34 की सहायता को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि

जिन आपराधिक कृत्य के खिलाफ शिकायत की गई थी, उनमें से एक द्वारा किया गया था

सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए अभियुक्त व्यक्ति; यदि यह दिखाया जाता है, तो अपराध के लिए दायित्व किसी भी व्यक्ति पर उसी तरह से लगाया जा सकता है जैसे कि कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत होने के कारण, उनके प्रभुओं के लिए यह स्पष्ट है कि धारा के अर्थ के भीतर सामान्य इरादे का तात्पर्य एक पूर्व-व्यवस्थित योजना है, और अभियुक्त को दोषी ठहराना

धारा को लागू करने वाला अपराध यह साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक कार्य पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सामूहिक रूप से किया गया था। जैसा कि अक्सर देखा गया है, इसे प्राप्त करना असंभव नहीं तो मुश्किल है

किसी व्यक्ति के इरादे को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य; ज्यादातर मामलों में इसका अनुमान उसके कार्य या आचरण या मामले की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए।

22. पांडुरंग और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य, आकाशवाणी

एस. सी. 216, न्यायमूर्ति विवियन बोस ने पीठ की ओर से बोलते हुए धारा 34 के अंशों पर विचार किया और बाबू शाह बनाम सम्राट (ऊपर) में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर भरोसा किया।

32 34 तकः

" 32. जैसा कि हमने अभी कहा है, गवाह ऐसे समय पर पहुंचे जब पिटाई पहले से ही चल रही थी। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था कि पहले क्या हुआ था। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि तुकाराम ने उपस्थित होने के अलावा कुछ भी किया था, और भले ही उन्होंने स्वीकार किया कि नीलिया ने रामचंदर की जांघ पर प्रहार किया था, लेकिन वह इस बारे में इतने अधूरे मन के थे कि यह उन्हें चोट भी नहीं लगी; और पांडुरंग में।

मामला, हालांकि एक घातक हथियार से लैस था, उसने सिर पर तुलनात्मक रूप से हल्की चोट लगाने के अलावा और कुछ नहीं किया। यह सच है कि जब चश्मदीद गवाह आए तो वे सभी भाग गए और बाद में फरार हो गए, लेकिन इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि वे एक शव के रूप में एक साथ भाग गए, या कि वे बाद में मिले। रसिकाबाई का कहना है कि "आरोपी" ने [2019] 2 एस. सी. आर. का मुद्दा उठाया।

उनके कुल्हाड़ियों और डंडों और उसे धमकी दी जब उसने उन्हें बुलाया, लेकिन यह फिर से एक ऐसा बयान है जिसे हम आगे के विवरण के अभाव में शाब्दिक रूप से लेने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग आम तौर पर यूनानी कोरस की तरह एकजुट होकर काम नहीं करते हैं और बेईमानी के अलावा, यह गवाहों के साथ एक पसंदीदा उपकरण है। जो या तो मानसिक रूप से सतर्क नहीं हैं या मानसिक रूप से आलसी हैं और हैं

ढीली सोच को दिया। वे अक्सर "सभी" कहने के लिए उपयुक्त होते हैं, तब भी जब वे केवल "कुछ" देखते हैं क्योंकि वे बहुत आलसी होते हैं, मानसिक रूप से, अंतर करने के लिए। इसलिए जब तक कोई गवाह यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कब कई आरोपी हैं, तब तक इस तरह के सर्वव्यापी समावेशन को उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना आमतौर पर असुरक्षित है। हम इन तथ्यों से हत्या की किसी भी पूर्व व्यवस्था का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। 33. अब धारा 34 के मामले में हम सोचते हैं कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक सामान्य इरादा पूर्व संगीत कार्यक्रम का अनुमान लगाता है। इसके लिए एक पूर्व-व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दूसरे के आपराधिक कृत्य के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराया जा सके, यह कार्य उन सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया होगाः महबूब शाह बनाम राजा सम्राट। तदनुसार मन की एक पूर्व बैठक होनी चाहिए थी। कई व्यक्ति एक साथ एक व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं और प्रत्येक का एक ही इरादा हो सकता है, अर्थात् मारने का इरादा, और प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से एक अलग घातक प्रहार कर सकता है और फिर भी किसी का भी धारा द्वारा आवश्यक सामान्य इरादा नहीं होगा।

अन्य में से किसी के कार्य के लिए दोषी ठहराया गया; और यदि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सकता है कि उसका अलग प्रहार घातक था तो वह नहीं हो सकता है हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बावजूद स्पष्ट रूप से उसके मामले में हत्या करने का इरादा साबित किया जा सकता हैः बरेंद्र कुमार घोष बनाम। राजा-सम्राट और महबूब शाह बनाम। राजा-सम्राट। जैसा कि उनके प्रभुओं में कहा गया है

बाद वाला मामला, "विभाजन जो उनकी सीमाओं को विभाजित करता है, अक्सर बहुत पतला होता हैः फिर भी, यह अंतर वास्तविक और महत्वपूर्ण है, और यदि इसकी अनदेखी की जाती है तो इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी।

34. योजना को विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, न ही लंबे समय के अंतराल की आवश्यकता है। यह अचानक उत्पन्न हो सकता है और अचानक बन सकता है, उदाहरण के लिए जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने में उसकी मदद करने के लिए राहगीरों को बुलाता है और वे, या तो अपने शब्दों या अपने कार्यों से, उसे अपनी सहमति का संकेत देते हैं और हमले में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। फिर आवश्यक आसिफ खान वी है।

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

मन की बैठक। एक पूर्व-व्यवस्थित योजना है, हालांकि जल्दबाजी में।

गठित और अशिष्ट रूप से कल्पना की गई। लेकिन वहाँ पूर्व-व्यवस्था होनी चाहिए हो
और पूर्व नियोजित संगीत कार्यक्रम। यह पर्याप्त नहीं है, जैसा कि बाद वाले में है

प्रिवी काउंसिल मामला, स्वतंत्र रूप से एक ही इरादा रखने के लिए

एक-दूसरे को, उदाहरण के लिए, दूसरे को बचाने का इरादा और यदि आवश्यक हो,

विरोध करने वालों को मारने के लिए। "

"

23. मोहन सिंह मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ और

बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 174 ने फिर से दोहराया था

धारा 34 के आहार। संविधान पीठ ने भी भरोसा किया है और

महबूब शाह बनाम सम्राट में प्रिवी काउंसिल के फैसले को रद्द कर दिया।

ए) के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व के आवश्यक घटकों पर ध्यान देना

34 पर, न्यायमूर्ति गजेंद्रगढ़कर ने पीठ की ओर से बोलते हुए निर्धारित किया

पैराग्राफ No.13 में विंगः

. आवश्यक घटक

" 13 ..... धारा 34 द्वारा विहित प्रत्यावर्ती आपराधिक दायित्व है -

सामान्य इरादे का अस्तित्व। यदि प्रश्न में सामान्य इरादा है

अभियुक्त व्यक्तियों को सक्रिय करता है और यदि उक्त सामान्य इरादा है

आरोपित आपराधिक अपराध के आयोग की ओर ले जाता है, प्रत्येक

साझा इरादे रखने वाले व्यक्ति रचनात्मक रूप से उत्तरदायी होते हैं।

उनमें से एक द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए। बस संयोजन की तरह

एक ही समान वस्तु साझा करने वाले व्यक्तियों की विशेषताओं में से एक है। एक गैरकानूनी सभा का, इसलिए एक संयोजन का अस्तित्व

समान सामान्य इरादे रखने वाले व्यक्ति विशेषताओं में से एक हैं।

धारा 34। कुछ मायनों में दोनों खंड समान हैं और

कुछ मामलों में वे ओवरलैप हो सकते हैं। लेकिन फिर भी, आम

इरादा जो धारा 34 का आधार है, उससे अलग है सामान्य वस्तु जो एक गैरकानूनी की संरचना का आधार है

सभा। आम इरादे से पता चलता है कि एक्शन-इन-कंसर्ट और

आवश्यक रूप से एक पूर्व निर्धारित योजना के अस्तित्व को स्वीकार करता है और

इसका मतलब दिमाग की एक पूर्व बैठक होनी चाहिए। यह ध्यान दिया जाएगा कि

जिन मामलों में धारा 34 लागू की जा सकती है, वे निम्नलिखित तत्वों का खुलासा करते हैं -

सभी अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से कार्रवाई में भागीदारी। द.

क्रियाएँ भिन्न हो सकती हैं; उनके चरित्र में भिन्नता हो सकती है, लेकिन वे सभी हैं

एक ही सामान्य इरादे से प्रेरित। यह अब अच्छी तरह से व्यवस्थित है।

कि धारा 34 द्वारा अपेक्षित सामान्य इरादा इससे भिन्न है

एक ही इरादा या समान इरादा। जैसा कि देखा गया है

महबूब शाह बनाम में प्रिवी काउंसिल। राजा-सम्राट आम

धारा 34 के अर्थ के भीतर इरादे का तात्पर्य एक पूर्व-व्यवस्थित [2019] 2 एस. सी. आर. से है।

योजना बनाना, और धारा को लागू करने वाले अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराना

यह साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक कृत्य सामूहिक रूप से किया गया था

पूर्व-व्यवस्थित योजना के अनुसार और सामान्य के अनुमान के अनुसार इरादे तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि यह एक आवश्यक निष्कर्ष न हो।

मामले की परिस्थितियों से अनुमानित।

24. ऊपर बताए गए सिद्धांतों को समय-समय पर दोहराया गया है और

एक बार फिर। हम नरिंदर सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2000) 4 एस. सी. सी. 603 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, उपरोक्त मामले के तथ्यों को फैसले के पैराग्राफ संख्या 5 में देखा गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव के हैंः

" 5. 6-11-1989 पर बलदेव सिंह अपने बेटे हार्डिप सिंह (पीडब्लू) के साथ 2) पीछे हटने के लिए साइकिल से गाँव जगतपुर जा रहा था

वहाँ के सहकारी बैंक में उसके खाते से पैसा। हार्डिप

सिंह साइकिल चला रहे थे जबकि गुरदेव सिंह साइकिल पर बैठे थे।

गुरदेव सिंह और हरदिप सिंह। दोनों अपनी साइकिल से उतर गए। अपीलार्थी नरिंदर सिंह ने घोषणा की कि वे गुरूदेव को पढ़ाएंगे।

सिंह एक सबक हैं क्योंकि उन्होंने ग्रंथ का पद खाली नहीं किया था।

जबकि दूसरा अपीलार्थी रविंदर सिंह उर्फ खन्ना एक गत्रा कृपाण निकाला, जिसे उसने पहना हुआ था और गुरदेव को चाकू मार दिया।

सिंह अपनी गर्दन के बाईं ओर गर कृपाण के साथ। गुरूदेव

कृपाण-प्रहार प्राप्त करने के बाद सिंह गिर पड़े।

25. भूमिका यह थी कि उन्होंने बलदेव सिंह को अपने हाथ से पकड़ लिया।

जबकि दूसरे अपीलार्थी ने गुरदेव सिंह पर कृपाण से वार किया। पैराग्राफ नंबर 5 में निम्नलिखित कहा गया हैः

.....उसने गुरदेव सिंह को अपने हाथ में ले लिया।

" 5 .

जबकि दूसरा अपीलार्थी रविंदर सिंह उर्फ खन्ना

एक गत्रा कृपाण निकाला, जिसे उसने पहना हुआ था और गुरदेव को चाकू मार दिया।

सिंह अपनी गर्दन के बाईं ओर गर कृपाण के साथ। गुरूदेव

कृपाण-प्रहार प्राप्त करने के बाद सिंह गिर पड़े।

26. इस अदालत ने फैसले के पैराग्राफ No.16 में कहा कि दोनों

अपीलार्थियों ने गुरदेव सिंह की हत्या को अंजाम दिया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 34 के तहत मामले को लाने के लिए यह सामग्री नहीं है, कि घातक प्रहार किसने किया, पैराग्राफ No.16 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

आसिफ खान बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

" 16 .

. दोनों अपीलार्थियों ने हत्या को अंजाम दिया

श्री गुप्ता ने कहा कि नरिंदर सिंह ऐसा नहीं कर सकते थे। धारा 34 की सहायता से दोषी ठहराया गया क्योंकि यह धारा कहीं भी नहीं है

विवादित निर्णय में उल्लिखित। खंड का उल्लेख करें

निर्णय किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। यदि अपराध के तत्व मौजूद हैं, तो दोषसिद्धि की जा सकती है।

आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत मामले को लाना सामग्री नहीं है।

जिन्होंने, वास्तव में, घातक प्रहार किया। उच्च न्यायालय ने मामले में उचित हस्तक्षेप किया है और तदनुसार अपीलार्थियों को सजा सुनाई है। 27. राजू मामले में इस अदालत का फैसला भी इसी प्रभाव से है।

पांडुरंग महाले बनाम महाराष्ट्र राज्य और दूसरा, (2004) 4 एस. सी. सी. 371। एक अन्य निर्णय, जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, मुरारी ठाकुर और एक अन्य बनाम बिहार राज्य, (2009) 16 एस. सी. सी. 256 का मामला है। उपरोक्त मामले में, आरोपी की मुख्य दलील थी कि उसने मृतक के पैर पकड़ लिए थे, जबकि तीसरे आरोपी ने उसे अपने तेज धार वाले हथियार से काट दिया था। पैराग्राफ नंबर 7 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 7. हम उच्च न्यायालय और निचली अदालत के इस विचार से सहमत हैं कि आरोपी ने मृतक बाल की हत्या की थी

कृष्ण मिश्रा ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पराजित किया

4 बजे 26-8-1998 पर सामान्य इरादा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सुनील था

कुमार, जो हमारे सामने नहीं है, जिसने मृतक की गर्दन काट दी

लेकिन हमारे सामने अपीलकर्ता (मुरारी ठाकुर और सुधीर ठाकुर)

हत्या में भी शामिल था। मुरारी ठाकुर ने पकड़ा था

मृतक के पैर और सुधीर ठाकुर पीछे बैठे थे।

इस हत्या के समय मृतक। इसलिए इस मामले में आई. पी. सी. की धारा 34 स्पष्ट रूप से लागू होती है।

28. जब हम वर्तमान मामले में साक्ष्य को देखते हैं,

ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि आरोपी सं. 1 और 2 पूरी तरह से अभियोजन पक्ष की कहानी में सामने आई परिस्थितियों और घटनाओं से स्थापित होता है, जिसकी विधिवत पुष्टि पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू4 द्वारा की जाती है। आरोपी नंबर 1 और मुखबिर के बीच बहस होने के बाद मृतक, जो मुखबिर का भाई था, आया और मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण आरोपी Nos.1 और 2 तुरंत मोटरसाइकिल से मौके से लौट आए और 10 मिनट बाद घातक हथियार से लैस होकर वापस आ गए। जब दोनों आरोपी दो भाइयों-मुखबिर और मृतक के साथ बहस के बाद लौटे और आए (2019) 2 एस. सी. आर.

हथियार से लैस 10 मिनट के बाद, सामान्य इरादा स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी Nos.1 और 2 के बीच मन की कोई बैठक नहीं हुई थी, जब वे हथियार के साथ लौटे और मृतक को चाकू मार दिया। जब आरोपी नंबर 1 ने उस पर चाकू से वार किया तो आरोपी नंबर 2 ने मृतक की गर्दन पकड़ ली। घटना का तरीका भी

यह इंगित करता है कि दोनों का इरादा समान था, इसलिए उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 2 को धारा 302 के तहत दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की।

धारा 34.

29. हम, इस प्रकार, अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, अपील हैं

बर्खास्त कर दिया।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन